Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

Ceiling Settlement Revision No.- 92/2024

Chunu Manjhi & Anr ……………………………………………………Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors………………………………………………Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.9.2025	**आदेश** यह भू-हदबंदी बंदोबस्ती पुनरीक्षण वाद समाहर्त्ता, कटिहार के भू-हदबंदी बंदोबस्ती अपील वाद सं0–570/2019-20 में दिनांक-08.1.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-12.9.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी के द्वारा Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का कहना है कि खतियान के अनुसार उनके पिता स्व. लुधो मांझी प्रश्नगत जमीन के सिकमी रैयत थे। तथा यह कि कालांन्तर में उक्त जमीन Ceiling Surplus जमीन के रूप में अधिसूचित हुआ तथा विधिसम्मत रूप से उन्हें बन्दोबस्त (लाल कार्ड) पर्चा प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पारिवारिक उपयोग में वर्ष-1958 से ही रहा है तथा यह कि विपक्षीगण द्वारा हाल में उन्हें गैर कानूनी रूप से तंग-तबाह किया जा रहा है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि आवेदकगण का बन्दोबस्ती (लाल कार्ड) पर्चा अवैध है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, विपक्षीगण का Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन अपीलार्थीगण को विधिमान्य रूप से बन्दोबस्ती द्वारा प्राप्त है तथा लंबी अवधि से उनके दखल कब्जा एवं उपयोग में रहा है। निम्न न्यायालय के स्तर से अपीलार्थी का पक्ष सुने बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। जो न्यायोचित नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से विधिमान्य बन्दोबस्त (लाल कार्ड) धारी के बन्दोबस्ती को मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त जमीन पर उनका दखल कब्जा नहीं है। इस प्रकार का आदेश न सिर्फ राजस्व प्रावधानों का उल्लंघन है अपितु लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के सिद्धांतों के विपरीत है। यह सुनिश्चित करना समाहर्त्ता एवं उनके अधीनस्थ राजस्व पदाधिकारियों की पदीय जवाबदेही है कि Privileged Tenant बन्दोबस्ती से प्राप्त जमीन का शांति पूर्ण उपयोग बिना किसी बाधा के करते रहें। तथा इस संबंध में गैर कानूनी कार्रवाई अथवा उन्हें परेशान करने वाले लोगों के विरूद्ध कड़ी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सुनवाई में विपक्षीगण की ओर से अपीलार्थी के बन्दोबस्ती (लाल कार्ड) पर्चा को अवैध साबित करने हेतु संगत कानूनी साक्ष्य/Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। जैसा कि उनके अभिकथन में दावा किया गया है। निम्न न्यायालय के स्तर से अपीलार्थी Privileged Tenant को सुने बिना तथा उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं को पूर्णरूपेन Overlook करते हुए गलत Findings अंकित कर अपीलाधीन आदेश (08.1.2024) पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः तदनुसार अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए समाहर्त्ता, कटिहार को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी (Privileged Tenant) को 15 दिनों के अन्दर बन्दोबस्ती पर्चा की प्रश्नगत जमीन पर दखल-कब्जा सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को अनुपालन हेतु भेजें। Rajesh K. 22/9/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Rajesh K. 22/9/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया